न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

प्रा.पत्र / 99 / 2022

पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा स्टेशन रोड़ भरतपुर

....प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी भरतपुर

बनाम

1—मै0 पूनम रेडियोज प्रोपराईटर स्व. श्री मांगी लाल पुत्र प्रभू दयाल पता मथुरा गेट के अंदर वार्ड न. 19 भरतपुर राज0
2—श्री राकेश गुप्ता पुत्र श्री मांगलीलाल गुप्ता, । — दुकान नं. 115 मथुरा गेट के
3—श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री पप्पू गुप्ता । अंदर वार्ड नं. 19 भरतपुर
4—श्रीमती पुनम गुप्ता पुत्री मांगीलाल गुप्ता, ।
5—श्रीमती कामिनी गुप्ता पत्नी श्री कपिल सिंघल पुत्री श्री पप्पू गुप्ता पता— वेयर हाउस के पास बयाना भरतपुर
6—श्रीमती संतोष गुप्ता पत्नी श्री ब्रिजेश गोयल पता—सपना रेफ्रिजेरशन बासन गेट भरतपुर
7—श्रीमती रामवती पत्नी श्री मांगीलाल , पता—मोरी चारवाग भरतपुर
8—श्रीमती मंजू देवी पत्नीं श्री राकेश कुमार पता— नकम कटरा कमला रोड़,भरतपुर

......अप्रार्थी ऋणी / गारन्टर / कानूनी वारिसान

जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रशन ऑफ फाइनान्सियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात एक्ट से संबोधित किया गया है बंधक संम्पति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

———

आदेश **दिनांक 21.06.2023**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी0 अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विरुद्व अप्रार्थी0 ऋणी से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी0 ने दिनांक 11.12.2002 को प्रार्थी बैंक से 300000 / — रुपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 ने अपनी अचल सम्पत्ति शॉप नं. 115 मथुरागेट के अंदर वार्ड न. 19 भरतपुर में स्थित जिसका क्षेत्रफल 171 वर्ग फुट जो कि स्व. मांगी लाल पुत्र प्रभुदयाल के नाम से है जिसकी सीमाएं हैं — पूर्व में— नजूल शॉप, पश्चिम में— नजूल शॉप, उत्तर में— जनरल हॉस्पिटल, दक्षिण में—पब्लिक रोड़ स्थित है ऋण

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

......2

अदायगी हेतु गारन्टी के रुप में ऋणी / जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेजात को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

अप्रार्थी0 के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नही कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी / ऋणी के खाता को दिनांक 30–11–2019 को एन.पी.ए.(अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 30–9–2021 तक 384564 / – रुपये ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थी0 पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी0 ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 11–11–2021 अप्रार्थी0 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ती के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी0 द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नही की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त प्राप्त सुविधा के ऐवज में अपनी उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा– 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 11–11–2021 अप्रार्थी0 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई हैं। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बाबजूद राशि नही चुकाने पर अन्तिम रुप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया / ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी0 द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण ने अपनी अचल सम्पत्ति शॉप नं. 115 मथुरागेट के अंदर वार्ड

.......3

जिला कलक्टर
...पुर (राज0)

प्रा.पत्र / 99 / 2022

पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक बनाम मै0 पूरन रैडियोज वगै0

न. 19 भरतपुर में स्थित जिसका क्षेत्रफल 171 वर्ग फुट जो कि स्व. मांगी लाल पुत्र प्रभुदयाल के नाम से है जिसकी सीमाएं हैं – पूर्व में– नजूल शॉप, पश्चिम में– नजूल शॉप, उत्तर में– जनरल हॉस्पिटल, दक्षिण में–पब्लिक रोड़ स्थित है ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रुप में ऋणी / जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेजात को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। जिसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर